भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3904

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

3904. श्री आशीष दुबेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितनी निधि आवंटित और वितरित की गई है;

(ख) क्या हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कम वित्तीय समावेशन वाले जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए निगरानी तंत्र लागू किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा जमीनी स्तर पर निर्धारित ऋण लक्ष्यों को किस हद तक हासिल किया गया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): विगत तीन वर्षों में, अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, 1.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। जून 2026 में जारी नवीनतम 23वीं किस्त में, 9.54 करोड़ लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई, 2025 को 100 जिलों को कवर करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था और इसे औपचारिक रूप से 11 अक्टूबर, 2025 को शुरू किया गया था। पीएम-डीडीकेवाई के अंतर्गत शामिल 100 जिलों को कम फसल उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम कृषि ऋण वितरण के तीन संकेतकों के आधार पर चिह्नित किया गया है। डीडीकेवाई में 11 विभागों/मंत्रालयों की मौजूदा 36 योजनाओं को राज्य सरकार की योजनाओं और निजी भागीदारी के साथ संयोजित करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना का उद्देश्य चिह्नित जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण विस्तार, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के तहत अवसंरचना निर्माण के लिए समर्थन और रिवाल्विंग फंड (RF) और सामुदायिक निवेश फंड (CIF) के प्रावधान जैसी गतिविधियों के माध्यम से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के ऋण की सुविधा प्रदान करना है।

देश के 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' (PM-DDKY) के तहत पहचाने गए ज़िले सहित सभी ज़िलों में संस्थागत ऋण प्रवाह को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यवस्थित निगरानी तंत्र मौजूद है। नाबार्ड हर ज़िले के लिए **'पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान' (PLP)** तैयार करता है, जो **'डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान' (DCP)** का आधार होता है, जिन्हें ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमिटी (BLBC), डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी (DCC) और स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी (SLBC) के समन्वय से बनाया जाता है। इन योजनाओं के आधार पर, अलग-अलग एजेंसियों और क्षेत्रों के लिए 'ग्राउंड लेवल क्रेडिट' (GLC) के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उनकी निगरानी की जाती है। ऋण प्रवाह की प्रगति की नियमित रूप से रुकावटों की पहचान करने और सुधार के उपाय करने के लिए **'डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमिटी' (DLBC)** और **'स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी' (SLBC)** की बैठकों में समीक्षा की जाती है। इसके बाद, नाबार्ड और सरकार के स्तर पर भी इनकी समीक्षा और निगरानी की जाती है।

PMDDKY ज़िलों में कृषि ऋण सहित कई महत्वपूर्ण परफ़ॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPI) पर हुई प्रगति की निगरानी स्कीम के मॉनिटरिंग फ़्रेमवर्क के ज़रिए की जाती है, जिसमें डैशबोर्ड-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रगति और आउटकम के आधार पर ज़िलों की मासिक रैंकिंग, सेंट्रल कमिटी और नीति आयोग द्वारा समय-समय पर समीक्षा, और प्रत्येक ज़िले के लिए नियुक्त सेंट्रल नोडल ऑफ़िसर (CNO) द्वारा नियमित फ़ील्ड विज़िट शामिल हैं।

इसके अलावा, **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** ने **'प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग' (PSL) के तहत अलग-अलग वेटेज वाले फ़्रेमवर्क** का उपयोग करके ऐसे ज़िलों की पहचान की है जहाँ कृषि ऋण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सिस्टम के तहत, पहचाने गए कम-ऋण वाले ज़िलों में संवितरित ऋण को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है ताकि बैंकों को उन क्षेत्रों में ऋण पहुँचाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जहाँ इसकी कमी है। PMDDKY के तहत आने वाले 35 ज़िले भी इसी श्रेणी में आते हैं और आरबीआई इनकी निगरानी कर रहा है। इन ज़िलों में **'फ़ाइनेंशियल इन्क्लूज़न फ़ंड'** के तहत सहायता, जागरूकता और क्रेडिट सैचुरेशन अभियान, और संस्थागत ऋण तक पहुँच बेहतर बनाने के लिए बैंकों और राज्य सरकारों के समन्वय से विशेष प्रयास भी किए जा रहें हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार **'किसान ऋण पोर्टल' (KRP)** का उपयोग करके समय-समय पर समीक्षाओं द्वारा केसीसी के ज़रिए कृषि ऋण की प्रगति पर डिजिटल रूप से नज़र रखती है, जिससे केसीसी के विस्तार को बेहतर बनाने सहित ज़िले-वार ऋण प्रवाह को ट्रैक करने और राज्यों तथा ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ समय पर फ़ॉलो-अप करने में मदद मिलती है । इन उपायों का उदेश्य PMDDKY ज़िलों में वित्तीय समावेश को बेहतर बनाना और संस्थागत ऋण की उपलब्धता को बढ़ाना है।

30 अप्रैल 2025 और 30 अप्रैल 2026 के बीच, PM-DDKY ज़िलों में लाभार्थी एमआईएसएस खातों की संख्या 70.87 लाख से बढ़कर 75 लाख हो गई। इसी दौरान, संवितरित ऋण की राशि 1.27 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गई।

(घ): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्य की तुलना में कृषि ऋण संवितरण की उपलब्धि नीचे दी गई है:

(रुपये करोड़ में)

एजेंसी	**2025-26**		
	भारत सरकार का लक्ष्य	**उपलब्धि**	**प्रतिशत उपलब्धि**
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	24,22,000	23,67,480	97.75
ग्रामीण सहकारी बैंक	3,70,500	2,78,797	75.25
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4,57,500	3,56,433	77.90
जमीनी स्तर पर कुल ऋण	**32,50,000**	**30,02,710**	**92.39**

स्रोत: नाबार्ड का एनश्योर पोर्टल
